

आज दिनांक 23.09.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की गई कार्यवाही के अन्तर्गत 50 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 04 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा (10 – 20 ली0) कुल 30 लीटर अवैध कच्ची शराब के 02 अभियुक्त नाम पता 1- प्रहलाद पुत्र मुन्नीलाल निवासी उमरिया पाण्डेय थाना धनघटा 2- राम विलास पुत्र स्व0 कल्लू निवासी चकिया बाजार थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को क्रमशः 10 ली0 व 20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना धनघटा पर क्रमशः मु0अ0सं0 469 / 2021 व मु0अ0सं0 470 / 2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम – उ0नि0 श्री अमर नाथ यादव, उ0नि0 श्री पवन कुमार शुक्ल, उ0नि0 श्री अनुज कुमार यादव, उ0नि0 श्री राधेश्याम प्रसाद, हे0कां0 जमीर, कां0 प्रमोद शर्मा, कां0 रोहित कुमार, कां0 गौरव सिंह।

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 10 ली0 अवैध कच्ची शराब के 01 अभियुक्त नाम पता दिलीप पुत्र स्व0 पुरुषोत्तम निषाद निवासी बढया ठाठर मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना मेहदावल पर मु0अ0सं0 264 / 2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम – उ0नि0 श्री विरेन्द्र तिवारी, हे0कां0 अकरममुल्ला खान, रि0कां0 सतेन्द्र यादव।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 10 ली0 अवैध कच्ची शराब के 01 अभियुक्त नाम पता नन्हेलाल पुत्र रामधीन निवासी कुसरुखुर्द थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना बखिरा पर मु0अ0सं0 300 / 2021 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम – उ0नि0 श्री रमेश कुमार यादव, कां0 रोहित कुमार।

अवैध चाकू के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा एक अदद नाजायज चाकू के साथ एक अभियुक्त नाम पता रामरेखा पुत्र त्रिलोकी निवासी मड़पौना थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना धनघटा पर मु0अ0सं0 471 / 2021 धारा 4 / 25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम – उ0नि0 श्री पवन कुमार शुक्ला, उ0नि0 श्री अमरनाथ यादव, कां0 मोहन चौहान।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी गिरफ्तार

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा दबिश के दौरान 01 वारण्टी नाम पता विनोद पासवान पुत्र रामसेवक पासवान निवासी नौदरी थाना मेहदावल जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री अमला यादव मय हमराह।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 13 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना दुधारा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना महुली पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1483 द्वारा दो पक्षों में मारपीट / विवाद को कराया गया शान्त – पीआरवी 1483 को थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत भैसहिया से इवेन्ट संख्या 12528 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट / विवाद होने से एक होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 05 मिनट में पहुंचकर मारपीट / विवाद को शांत कराकर दोनों पक्षों को विधिक कार्यवाही हेतु थाना कोतवाली खलीलाबाद को सुपुर्द किया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को शान्त कराकर एक बड़ी घटना घटित होने से बचा लिया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 जीवन चन्द, आ0 उमेश कुमार गौतम, हो0चा0 पवन पाण्डेय ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 108 वाहनो से 93000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया
आज दिनांक 23.09.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा